

कार्यालय अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय गैस राहत
बैरसिया रोड भोपाल

क्रमांक/जे०एन०एच०/गै०रा०/स्था०/2020/790

भोपाल, दिनांक 4/2/20

प्रति

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गैस राहत भोपाल

विषय:- विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारियों की अचल सम्पत्ति जानकारी भेजने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि निम्नांकित विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक की अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित जानकारी दो प्रतियों में संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है।

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
1	डा०एम०एच०मलिक	मेडीकल आफिसर
2	डा०एन०सी०विच्चू	मेडीकल आफिसर
3	डा०एम०एस०कुरेशी	मेडीकल आफिसर
4	डा०यू०एस०चौहान	मेडीकल आफिसर
5	डा०प्रशान्त यादव	मेडीकल आफिसर
6	डा०राजू शैकवार	मेडीकल आफिसर
7	डा०शैलेन्द्र श्रीवास्तव	मेडीकल आफिसर
8	डा०श्रीमती प्रतिष्ठा तिवारी	मेडीकल आफिसर
9	डा०अमित मालवीय	संविदा मेडीकल आफिसर
10	डा०एकता सागर शाह	संविदा मेडीकल आफिसर
11	डा०राजेश अहिरवार	संविदा मेडीकल आफिसर
12	डा०नवेद खान	संविदा मेडीकल आफिसर
13	डा०मो०रजा	संविदा मेडीकल आफिसर
14	डा०इहित बत्रा	संविदा मेडीकल आफिसर
15	डा०रमेश गुप्ता	संविदा मेडीकल आफिसर
16	डा०रविशंकर गौतम	संविदा मेडीकल आफिसर
17	डा०राघव शर्मा	संविदा मेडीकल आफिसर
18	डा०आसिम असलम	संविदा मेडीकल आफिसर
19	डा०नीलू कसौटिया	संविदा मेडीकल आफिसर
20	डा०विक्रम पटेल	संविदा मेडीकल आफिसर
21	डा०रोहित जैन	संविदा मेडीकल आफिसर
22	डा०रजा खान	संविदा मेडीकल आफिसर
23	डा०कविता कसौटिया	संविदा मेडीकल आफिसर
24	डा०ऊषा मीणा	संविदा मेडीकल आफिसर
25	डा०प्रेम कुमार कौशल	संविदा मेडीकल आफिसर

लेखन:- 25 के प्रति 2-1

पृ०क्रमांक/जे०एन०एच०/गै०रा०/स्था०/2020/

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1 संचालक गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, भोपाल ।
- 2 संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल ।

अधीक्षक

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय

गैस राहत भोपाल

भोपाल, दिनांक.....

अधीक्षक

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय

गैस राहत भोपाल

(अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019)

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो
- 2 वर्तमान धारित पद
- 3 वेतनमान

डा0एम0एच0मलिक
मेडिकल आफिसर

78800-907200

उस जिले, उपसंभाग, तालूका या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे, गृह, तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एवं जिससे अर्जित की गई तो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
सी-64 इन्डिया को कॉलोनी का इन्डिया का नाम	इन्डिया का नाम	आय का नाम	आय का नाम	पूरे के ब्योरे अर्जित करने की तारीख एवं अर्जन की तारीख एवं जिससे अर्जित की गई तो उसका नाम तथा ब्योरा	-	-

1 जहां लागू न हो काट दीजिये ।

2 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए । इसमें अंशकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- म0प्र0शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर.....

नाम डा0एम0एच0मलिक

पदनाम.....

विभाग.....

जवाबदार अधिकारी

जवाबदार अधिकारी



(अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019)

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो
 2 वर्तमान धारित पद
 3 वेतनमान

डा0एम0एच0मलिक

मेडिकल आफिसर

78800-20320

उस जिले, उपसंभाग, तालूका या ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे, गृह, तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एवं जिससे अर्जित की गई तो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
डी-64 अर्जित की जा रही है, अर्जित की जा रही है	अर्जित की जा रही है	अर्जित की जा रही है	अर्जित की जा रही है	अर्जित की जा रही है	अर्जित की जा रही है	अर्जित की जा रही है

1 जहां लागू न हो काट दीजिये ।

2 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए । इसमें अंशकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- म0प्र0शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर.....

नाम डा0एम0एच0मलिक

पदनाम.....

विभाग.....

78800-20320



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0एन0सी0विच्चू मेडिकल आफिसर
- 2 वर्तमान धारित पद
- 3 वेतन मान 123100-2,15,000

आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक जनवरी 2020

1	2	3	4	5	6	7
ग्राम/जिले, उप-सभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	ग्राम बडाई विचकड फन्दा तहसील डुमरा भोपाल (मं. प्र.)	मूल्य का अंश भाग	स्वयं तथा पति के वेतन से अर्जित	स्वयं तथा पति के वेतन से अर्जित	निरंक - NIL	-
2	ग्राम भौरी के पास तहसील डुमरा वि. फन्दा जिला भोपाल	उपलब्ध भवन का अंश भाग	पति तथा स्वयं के नाम	स्वयं तथा पति के वेतन से अर्जित	निरंक - NIL	-

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0एन0सी0विच्चू
पदमान मेडिकल आफिसर
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0एन0सी0विच्चू
- 2 वर्तमान धारित पद मेडिकल आफिसर
- 3 वेतन मान

उस जिले, उप-सभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1. ग्राम बंडवई वि. बंडवई फल्दा तहसील इंदूर जिला भोपाल (म.प्र.)	2. मुख्य डल्ला 1450 वर्ग फीट खसरा नं० 24/1/2 का अंश भाग	3. मूल्य की आकलन नहीं किया। कुल मूल्य रु. 263500/-	4. सीमाती सुनीता बिन्चू (पति)	5. स्वयं तथा पति के वेतन से खचत राशि से कम किया दि. 13/11/20	6. निरंक - (NIL)	7. —
2. ग्राम भौरी के पास तहसील इंदूर वि. फल्दा तहसील इंदूर जिला भोपाल (म.प्र.)	3. इंप्लेक्स भवन के मूल्य रु. 22 लाख 25 हजार रु. 25 लाख के अंश भाग का अंश भाग	4. पति तथा स्वयं के नाम	5. बैंक IDBI इमेलोन तथा बुद्धर राशि स्वयं तथा पति के वेतन से खचत राशि द्वारा वर्ष 2011-12	6. निरंक - (NIL)	7. —	8. —

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पदमान

विभाग

डा0एन0सी0विच्चू
मेडिकल आफिसर
जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



दिसम्बर 2019)

4 अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो
2 वर्तमान धारित पद
3 वेतनमान

2000-2001

उस जिले, उपसंभाग, तालूका या ग्राम का नाम निम्नमें	सम्पत्ति का नाम तथा	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो
			7.8.8.00.....9.2.2.000.आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 1.7.2020

7.8.8.00-2.2.2.9.00 आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 1.7.2020

[illegible]

- 1 जहाँ लागू न हो काट दीजिये ।
- 2 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव हो वहाँ वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जा सकेगा ।

टिप्पणी— इसमें अशकालीन पट्टे

टिप्पणी:- म0प्र0शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

संस्था: वास्तु सामंस्तु अचल

पदनाम :- मेडिकल आफिसर

विभाग :- जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय
गैस राहत भोपाल

६६-४

०५/११/२० :: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष १ जनवरी २०१९ से ३१ दिसम्बर २०१९::

- १ अधिकारी / कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा० यू० एस० चौहान
- २ वर्तमान धारित पद दंत चिकित्सक
- ३ वेतन मान १४४००-२०९२००

आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक जुलाई २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
१. जिला-भोपाल, तहसील-कुजूर ग्राम-पलसा	२. बाबालीय फाट	४,००,०००/-	४. पत्नी एवं स्वयं के नाम	५. स्वयं की खत से प्रतीक ग्रह निर्माण सो. २१.०६.०७	६. -	७. -
२. जिला-भोपाल, तहसील-कुजूर ग्राम-सलीया	बाण्डियक फाट	१०,००,०००/-	पत्नी एवं स्वयं के नाम	१५.०६.१०	-	-
३. जिला-भोपाल, तहसील-कुजूर ग्राम-सलीया	आवसरीय फाट	१२,००,०००/-	पत्नी एवं स्वयं के नाम	१५.०६.१०	-	-
४. जिला-भोपाल, तहसील-कुजूर ग्राम-शाह फाट				१५.०६.१०	-	-

जहाँ काट दीजिये
जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहाँ वर्तमान स्थिति में सन्दर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।

३. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम १९५९ के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा० यू० एस० चौहान

पदनाम दंत चिकित्सक

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0यू0एस0चौहान
- 2 वर्तमान धारित पद दंत चिकित्सक
- 3 वेतन मान १४४००-२०९२००

आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक जुलाई 2020

उस जिले, उप संगम, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1. जिला-भोपाल तहसील-कुजूर, ग्राम-पलासा	2. आवासीय छातर	3. 4,00,000/-	4. पत्नी एवं स्वयं के नाम से	5. पत्नी एवं स्वयं के नाम से खरीद से 29.06.2007	6. 0	7.
2. जिला-भोपाल, तहसील-कुजूर, ग्राम-सैलावा	3. वाणिज्यिक छातर	10,00,000/-	पत्नी एवं स्वयं के नाम से	पत्नी एवं स्वयं के नाम से खरीद से 29.06.2007	0	
3. जिला-भोपाल, तहसील-कुजूर, ग्राम-सैलावा	4. आवासीय छातर	12,00,000/-	पत्नी एवं स्वयं के नाम से	पत्नी एवं स्वयं के नाम से खरीद से 29.06.2007	0	

जहां लागू न हो काट दीजिये

1. जिला-भोपाल, तहसील-कुजूर, ग्राम-सैलावा
अचल सम्पत्ति का मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें 75,00,000/- स्वयं के नाम से
अचल सम्पत्ति पट्टे भी सम्मिलित है।
टिप्पणी:-म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा0यू0एस0चौहान

पदनाम दंत चिकित्सक

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो
- 2 वर्तमान धारित पद
- 3 वेतन मान
- 4 आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक

:- डॉ. प्रशांत यादव
:- चिकित्सा अधिकारी
:- 79900-211700
:- जुलाई 2020

उस जिससे, रुप संभाग, तालूका या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्तिया का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एवं जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
(1) जिला - भोपाल तहसील - हूजुर	एम.एक्स. -190, ई-7 एक्स. अरेरा कालोनी, भोपाल (आवसीय)	रुपये 18,20,000/- (अनुमानित)	स्वयं के नाम, पिता, माता, एवं भाई की भागीदारी द्वारा	शासकीय सेवा में आने के पूर्व दिनांक 27/04/1989 को मध्यप्रदेश ग्रहनिर्माण से क्रय किया गया	निरंक	निरंक
(2) जिला - भोपाल तहसील - हूजुर	126/ई 4 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल (आवसीय)	रुपये 21,00,000/- (अनुमानित)	स्वयं एवं बहन के नाम (विरासत द्वारा प्राप्त)	विरासत, पिता कि मृत्यु उपरांत दिनांक 07/05/2018	निरंक	निरंक
(3) जिला - भोपाल तहसील - हूजुर	भूमि खसरा नम्बर 110/1/6/2, बबडिया कलां, भोपाल (आवसीय)	रुपये 26,20,000/- (अनुमानित)	स्वयं के नाम (विरासत द्वारा प्राप्त)	विरासत, पिता कि मृत्यु उपरांत दिनांक 30/07/2018	निरंक	निरंक

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मा.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) के नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति से समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर :-  16/11/20

नाम :- प्रशांत यादव
पदनाम :- चिकित्सा अधिकारी
विभाग :- जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय (गैस राहत) भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डॉ. प्रशांत यादव
- 2 वर्तमान धारित पद :- चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 79900-211700
- 4 आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक :- जुलाई 2020

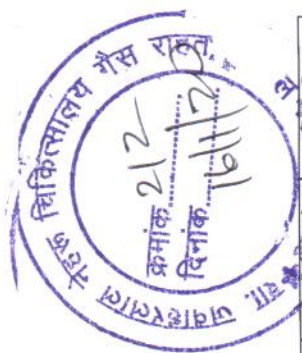
उस जिसे, उप संभाग, तालूका या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्तिया का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एवं जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति के वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
(1) जिला - भोपाल तहसील - हूजुर	एम.एक्स. -190, ई-7 एक्स. अरेरा कालोनी, भोपाल (आवसीय)	रुपये 18,20,000/- (अनुमानित)	स्वयं के नाम, पिता, माता, एवं भाई की भागीदारी द्वारा	शासकीय सेवा में आने के पूर्व दिनांक 27/04/1989 को मध्यप्रदेश ग्रहनिर्माण से क्रय किया गया	निरंक	निरंक
(2) जिला - भोपाल तहसील - हूजुर	126/ई 4 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल (आवसीय)	रुपये 21,00,000/- (अनुमानित)	स्वयं एवं बहन के नाम (विरासत द्वारा प्राप्त)	विरासत, पिता कि मृत्यु उपरांत दिनांक 07/05/2018	निरंक	निरंक
(3) जिला - भोपाल तहसील - हूजुर	भूमि खसरा नम्बर 110/1/6/2, बबडिया कलां, भोपाल (आवसीय)	रुपये 26,20,000/- (अनुमानित)	स्वयं के नाम (विरासत द्वारा प्राप्त)	विरासत, पिता कि मृत्यु उपरांत दिनांक 30/07/2018	निरंक	निरंक

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति से समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर :-  16/01/20

नाम :- प्रशांत यादव
पदनाम :- चिकित्सा अधिकारी
विभाग :- जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय (गैस राहत) भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0राजू शेकवार
- 2 वर्तमान धारित पद :- मेडिकल आफिसर
- 3 वेतन मान 67700-208700 आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1. Dabhapur (M)	House (Gh)	अवलोकन नहीं	WSR	WSR नेलीन अर्जित किया		
2. Bairwahga	कुकी भूमि	22,00,000/-	WSR	अर्जित किया		
3. Garm Basulla	कुकी भूमि	22,40,000/-	WSR	अर्जित किया		

1. जहाँ लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहाँ वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0राजू शेकवार

पदमान मेडिकल आफिसर

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल





:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012::

- 1 अधिकारी / कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा० राजू शेकवार
- 2 वर्तमान धारित पद :- मेडिकल आफिसर
- 3 वेतन मान 67700-208700 आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक जुलाई 2020

उस जिले, उप-सभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
Dhopol (MD)	गृह	अर्जित/नहीं	wife	wife of loan		
Bairabaiya	अर्जित/नहीं	22,40,000/-	Sd/-	अर्जित/नहीं		
(Karamdasulla)	गृह	22,40,000/-	wife	अर्जित/नहीं		

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा

में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा० राजू शेकवार
 पदमान मेडिकल आफिसर
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

(अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019)

1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो

डा०शेलेन्द्र श्रीवास्तव

वरिष्ठ मेडिकल आफिसर

3 वेतनमान 78800 - 209200

आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 1.7.2020

उस जिले, उपसंग्रह, तालूका या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे, गृह, तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाईये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एवं जिससे अर्जित की गई तो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1. भोपाल, बाण्डोडा कला	भवन 3000 वर्गफुट	80 लाख लगभग	इस सम्पत्ति का नाम (जन्म)	कोटरोहिण सहभागी के रूप में	अनुमति पत्रिने अपने विभागाध्यक्ष	
2. भोपाल, नजीबाग	फार्म नं० 6798	20 "	इस सम्पत्ति का नाम (मौ) + स्वयं	पिताजी द्वारा खरीदा मुम्बई के समस्त भूखान पिताजी द्वारा		
3. भोपाल, चौपड़ा कला	फार्म नं० 10800	20 "	स्वयं	खरीदा नर्मदा वन्दन परिसर से	अनुमति प्राप्त है	
4. भोपाल, नेहरू नगर	भवन 1614 वर्गफुट	80 "	स्वयं स्वयं वाटन	खरीदा डी.एच. अड्डा के रूप में	पत्रा क्र/6/लेटर/2011/206/671 दि. 15/12/2011 से चातानालय	

1 जहां लागू न हो काट दीजिये ।

2 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए । इसमें अंशकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- म०प्र० शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर.....

नाम डा०शेलेन्द्र श्रीवास्तव

पदनाम वरिष्ठ मेडिकल आफिसर

विभाग:- संलग्न जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय

गैस राहत भोपाल



(अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019)

1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो

2 वर्तमान धारित पद

3 वेतनमान

डा0शेलेन्द्र श्रीवास्तव

वरिष्ठ मेडिकल आफिसर

78800 - 209200

आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 1.7.2020

उस जिले, उपसंभाग, तालूका या ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे, गृह, तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एवं जिससे अर्जित की गई तो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1. मोपाल, बालाईया, कला	मकान 3000 वर्ग फुट	80 लाख	स्वयं	खरीद		
2. मोपाल, नवबारा	फार्मलैंड 6798 "	20 लाख	स्वयं	खरीद		
3. मोपाल, चौपड़ा कला	फार्मलैंड 10800 "	20 लाख	स्वयं	खरीद		
4. मोपाल, नेहरु नगर	मकान 1614 "	80 लाख	स्वयं	खरीद		

1 जहां लागू न हो काट दीजिये ।

2 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए । इसमें अंशकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- म0प्र0शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर.....

नाम डा0शेलेन्द्र श्रीवास्तव

पदनाम वरिष्ठ मेडिकल आफिसर

विभाग:-संलग्न जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय

गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

1. अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा० श्रीमती प्रतिष्ठा तिवारी
2. वर्तमान धारित पद :- मेडिकल आफिसर
3. वेतन मान :- 124146

उस जिले, उप संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
(1) 67 ग्रीन्फ़ लिंकस् फ़ेज-2 लालबाड़ी भोपाल	डुप्लेक्स	40 लाख	स्वयं एवं पति के नाम पर	PPF एवं बैंक लोन एवं स्वयं की बचत से	nil	nil
(2) 5-303 कैम्फर्ट लॉडिन्ग् न्यू सिन्दूर जल के पास	फ्लैट	30 लाख	स्वयं एवं पति के नाम पर	PPF, बैंक लोन एवं स्वयं की बचत से	nil	nil

1. जहां लागू न हो काट दीजिये

2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा० श्रीमती प्रतिष्ठा तिवारी

पदमान मेडिकल आफिसर

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

1. अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०श्रीमती प्रतिष्ठा तिवारी
2. वर्तमान धारित पद :- मेडिकल आफिसर
3. वेतन मान :- 125146

उस जिले/उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
(1) 67, गोलफ निक्का फेज-2 बालमघारी भोपाल 5-203 कमफर्ट एपार्ट- 0-85 रेन्ड्रल जेल के पास भोपाल	उप्लेक्स फ्लैट-	40 लाख अनुमानित- 30 लाख अनुमानित-	स्वयं- एवं पति के नाम पर स्वयं एवं पति के नाम पर	6PF बैंक लोन व स्वयं की वचनसे बैंक लोन एवं स्वयं की वचनसे	nil.	nil.
					nil.	nil.

1. जहां लागू न हो काट दीजिये

2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा०श्रीमती प्रतिष्ठा तिवारी

पदमान मेडिकल आफिसर

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0अमित मालवीय
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
रा. नगर, तहसील भिड़वल, भोपाल
संविदा क्र. 84... दिनांक 23/1/2020

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0अमित मालवीय
पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0अमित मालवीय
 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-सभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
NR	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा0अमित मालवीय
 पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी / कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0एकता सागर शाह
- 2 वर्तमान धारित पद संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			<u>विरासत</u>			

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा0एकता सागर शाह
 पदमान संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0एकता सागर शाह
 2 वर्तमान धारित पद संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन 50070/-



उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
 2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी:-म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

(Signature)

हस्ताक्षर
 नाम डा0एकता सागर शाह
 पदमान संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0राजेश अहिरवार
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			<i>nil</i>			

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा0राजेश अहिरवार
 पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०राजेश अहिरवार
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-



उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			<i>nil</i>			

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

(Signature)

हस्ताक्षर
 नाम डा०राजेश अहिरवार
 पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0नवेद खान
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा0नवेद खान
 पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0नवेद खान
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			MIL			

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा0नवेद खान
 पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0मोहम्मद रजा
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1. जहाँ लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहाँ वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0मोहम्मद रजा
पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0मोहम्मद रजा
 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

- जहां लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें
- अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा प्रभारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा0मोहम्मद रजा

पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0इहित बत्रा
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1 ग्राम गमुनिया पट्टार तहसील दुमुर जिला भोपाल	2 DAYANUS मिनी रेडी इन्डियल वेल्फेयर अंसाई मुखण्ड कक्षाक 73, 1450 वर्गफिट	3 —	4 पिता के द्वारा विरासत गई।	5 पिता द्वारा अर्जित किया।	6 अंश शून्य	7 —

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा0इहित बत्रा

पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0इहित बत्रा
 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
ग्राम रसुनिया पटार तहसील हुजूर तिला हुजूर भोपाल	दायमान मिनी रेडी रेसिडियल वेल्फेयर मोस्ट्री भूखण्ड कमराक 73, 1450 वसति	—	पिता द्वारा दिल गई।	पिता द्वारा अर्जित किया गया।	शून्य	—

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
 2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

डा0इहित बत्रा

नाम डा0इहित बत्रा

पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0रमेश गुप्ता
- 2 वर्तमान धारित पद :- सविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-सभाग, तालूक, ग्राम, नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा0रमेश गुप्ता
 पदनाम सविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0रमेश गुप्ता
 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-



उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- जहां लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर *Ravi Gupta*

नाम डा0रमेश गुप्ता

पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०रविशंकर गौतम
 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-



1	2	3	4	5	6	7
उप जिले, उप संभाग, तालूक सं ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7

- जहां लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।

- इसमें

अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा०रविशंकर गौतम
 पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०रविशंकर गौतम
 2 वर्तमान धारित पद :- सविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-



उस जिले, उप-सभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

- जहां लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा०रविशंकर गौतम
 पदनाम सविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०राघव शर्मा
 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- जहां लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा०राघव शर्मा

पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0राघव शर्मा
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-सभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	पर न हो किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उसमें यह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0राघव शर्मा
पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0आसिम असलम
2 वर्तमान धारित पद संविदा चिकित्सा अधिकारी
3 वेतन 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तरीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
जिला न. 3 उप-संभाग 3 उप-तहसील 2 गांव 1	रस्ता	अस्तम नहीं है	रस्ता के नाम	प्रत्येक सम्पत्ति	-	-

- जहां लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा0आसिम असलम

पदमान संविदा चिकित्सा अधिकारी

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल





:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0आसिम असलम
- 2 वर्तमान धारित पद सविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन 50070/--

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
गैस राहत बल्लभ नं- 3 गैस बाग बरत अलम, अलम हैरुलाल राहत	बल्लभ	अलम अलम अलम	बल्लभ के नाम	अलम बरत	—	—

1. जहां लागू न हो काट दीजिये

2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी:-म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि में पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0आसिम असलम

पदमान सविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०नीलू कसोटिया
 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-



उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेत
1	2	3	4	5	6	7

- जहाँ लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहाँ वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें
- अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा०नीलू कसोटिया
 पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०नीलू कसोटिया
2 वर्तमान धारित पद :- सविदा चिकित्सा अधिकारी
3 वेतन मान :- 50070/-



उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा०नीलू कसोटिया
पदनाम सविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0रजा खान
2 वर्तमान धारित पद संविदा चिकित्सा अधिकारी
3 वेतन 50070/-



उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- जहां लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0रजा खान
पदमान संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0रजा खान
 2 वर्तमान धारित पद संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन 50070/-



उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<i>Nil</i>	<i>Nil</i>	<i>Nil</i>	<i>Nil</i>	<i>Nil</i>	<i>Nil</i>	<i>Nil</i>

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
 2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

[Signature]

हस्ताक्षर
 नाम डा0रजा खान
 पदमान संविदा चिकित्सा अधिकारी
 विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा0कविता कसोटिया
- 2 वर्तमान धारित पद सविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिज्ञान
1	2	3	4	5	6	7
	Nil	Nil	Nil		Nil	

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
 2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी:-म.प्र.शासकीय सेवक (आवरण) के नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0कविता कसोटिया
पदमान सविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग संलग्न जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



- 1 अधिकाारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::
2 वर्तमान धारित पद डा0कविता कसोटिया
3 वेतन संविदा चिकित्सा अधिकारी
50070/-



उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6
			N/A		7

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:-म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से परचात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0कविता कसोटिया 30/1/20
पदमान संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग संलग्न जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो
- 2 वर्तमान धारित पद
- 3 वेतन

मेडीकल आफिसर (संविदा)

50070 फिक्स वेतन

उस जिले, उप संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा० रुषा मीणा

पदमान मेडीकल आफिसर (संविदा)

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



- 1 अधिकाारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो
2 वर्तमान धारित पद
3 वेतन

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018::

डा0ऊषा मीणा

मेडीकल आफिसर (संविदा)

50070 फिक्स वेतन

उस जिले, उप संभाग, तालूक, या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेत
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1. जहां लागू न हो काट दीजिये

2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा0ऊषा मीणा

पदमान मेडीकल आफिसर (संविदा)

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



द्वारा



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0विक्रम पटेल
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
भिक्षा - ललितपुर	4.50 एकड़	2500 Lac				
तह - ललितपुर	0.45, रिस भि					
ग्राम - खित्तवाँस	0.70 रिस भि	4.0 Lac	प्रेमिक	पिता द्वारा खरीद	1.00 लाख	
ग्राम - धावारा		30.00 Lac				
ललितपुर - वाहरेख						

1. जहाँ लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहाँ वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा0विक्रम पटेल
पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा0विक्रम पटेल
 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-सभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
जिन्दा :- प्यलितपुर तह :- प्यलितपुर ग्राम :- खिनवाँरा ग्राम :- धलवार प्यलितपुर वाहरदक	4.50 एकड़ 0.45 छिन्मिल 0.70 दिसमिल	25.00 Lac 4. Lac 30.00 Lac	पैत्रिक	पिता द्वारा खरीदी गई	1.00 लाख	

जहां लागू न हो काट दीजिये

1.

2.

इसमें

3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा0विक्रम पटेल

पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा०रोहित जैन
- 2 वर्तमान धारित पद संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:-म.प्र.शासकीय सेवक (आवरण) के नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा०रोहित जैन
पदमान संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल





:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 ::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो डा०रोहित जैन
- 2 वर्तमान धारित पद संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन 50070/-

उस जिले, उप-सभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1. जहाँ लागू न हो काट दीजिये
 2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहाँ वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा०रोहित जैन

पदमान संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०प्रेम कुमार कौशल
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप संभाग, तालूक का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			X			

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम डा०प्रेम कुमार कौशल
पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी
विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल



:: अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019::

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पुरा नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो :- डा०प्रेम कुमार कौशल
- 2 वर्तमान धारित पद :- संविदा चिकित्सा अधिकारी
- 3 वेतन मान :- 50070/-

उस जिले, उप-संभाग, तालूक या ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा, गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के वेतन पर न हो बतलाइये कि वह किस पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख एण्ड जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			Nil			

1. जहां लागू न हो काट दीजिये
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव हो वहां वर्तमान स्थिति में संदर्भ लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) के नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि से पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे और उससे वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम डा०प्रेम कुमार कौशल

पदनाम संविदा चिकित्सा अधिकारी

विभाग जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल

